

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

MINISTER-IN-CHARGE : CHIEF MINISTER, HARYANA

ADMINISTRATIVE SECRETARY: ADDL.CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT.

Subject:- **ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF NEW &
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR
THE YEAR 2017-18.**

In compliance of Haryana Government instructions issued vide U.O.53/187/83-E PP dated 07-12-1984, the Annual Administrative Report of the New & Renewable Energy Department, Haryana for the year 2017-18 (in English and Hindi) is brought before the Council of Ministers for its consideration.

Prior permission of the Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing this matter before the Council of Ministers.

Chandigarh, dated
18th January, 2019

(TRILOK CHAND GUPTA)
Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana
New & Renewable Energy Department

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2017-18.

During the year, a budget provision of Rs. 6129.25 lacs was made against which an expenditure of Rs 3405.13 lacs was incurred by the Department of Renewable Energy to implement the various Renewable Energy and Energy Conservation programmes/ projects in the state.

(A) MW SCALE POWER PROJECTS

During the year, two Ground Mounted Solar Power Plant of 21 MW capacity has been installed at M/s JBM Solar (P) Ltd., Barwa (Bhiwani) and M/s Balarch Energy (P) Ltd in the State.

(B) OTHER SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMMES

During the year, grid connected roof top (GCRT) Solar Power Plant of aggregate capacity of 23 MW has been installed under subsidy while total 88 MW capacity GCRT Solar Power Plants have been installed till March, 2018 with and without subsidy.

(C) SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME

Under this, Solar Water Heating Systems Programme and Solar Cooker Programme (Box / Dish) are being implemented. Solar Water Heating Systems with cumulative capacity of 23000 LPD were installed in the State in social Sector and 80300 LPD in domestic sector.

(D) BIOMASS PROGRAMME

During the year, two grid connected biomass power projects of 19.4 MW capacity were in operation at Village-Dhani Narsan, Distt. Bhiwani and Village Khurawata District Bhiwani. A MoU was signed with M/s K2PRPL Ltd. Rewari for setting up of a 2 MW Biomass Gasifier Project Khurshid Nagar, Teh. Kosli District Rewari. The department also floated a request for proposal for setting up paddy straw based biomass power projects in six paddy dominant districts of the State namely, Karnal, Kurukshetra, Kaithal, Ambala, Fatehabad and Jind to tackle the issue of straw burning in fields, after approval of the State Govt. & HERC. Bids were evaluated and the High Powered Committee headed by the Chief Secretary allotted 4 projects in Kurukshetra, Kaithal, Fatehabad and Jind with an aggregate capacity of 49.8 MW. The project developers have been issued letter of intent for signing of MoU and preparation of DPR's. In addition to this, 3 biomass cogen projects with total capacity of 20.45 MW were also approved and MoUs were signed. These projects are now in the stage of signing of PPA with HPPC.

The 25 MW bagasse/biomass based power project was commissioned on 29-12-2017 at the Naraingarh Sugar Mill at a cost of Rs.119 crore. This is the largest renewable energy project in the State.

During the year 2017-18, the work of New and Renewable Energy Department was found to be satisfactory

Dated Chandigarh, the
—the January, 2019

(TRILOK CHAND GUPTA)
Addl. Chief Secretary to Govt. of Haryana,
New & Renewable Energy Department.

2

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2017-18.

No. DRE/2018/..... During the year, for popularizing the applications of various non-conventional energy sources in the State, Solar Photovoltaic Programme, Solar Thermal Programme, Institutional Biogas Programme, and Biomass Power Programme etc. were taken up for implementation by the Department.

The Department has total staff strength of 164, out of which 111 posts are filled up and 53 posts remained vacant.

To implement various programmes of the Department, an expenditure of Rs. 2845.95 lacs was incurred under the budget head "2810-Non-Conventional Sources of Energy, Plan & Non-Plan" and budget head "3425-Rural Energy Programme State Plan & Non-Plan, an expenditure of Rs. 559.17 lacs was incurred.

1. ADMINISTRATIVE SET UP OF DEPARTMENT OF NEW & RENEWABLE ENERGY, HARYANA (PLAN AND NON PLAN TO BE SUBSTITUTE AS RECURRING AND NON RECURRING).

To meet the expenditure of administrative set up of Department and HAREDA, under budget head 2810 & 3425 Plan and Non-Plan, an expenditure of Rs. 890.63 lacs was incurred.

2. SOLAR POWER PLANT OF MW SCALE

During the year, two Ground Mounted Solar Power Plant of 21 MW capacity has been installed at M/s JBM Solar (P) Ltd., Barwa (Bhiwani) and M/s Balarch Energy (P) Ltd. in the State. Upto March 2018, 50.80 MW Ground Mounted Solar Power Plant have been installed out of which 45.80 MW is under RPO in the State.

3. OTHER SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMMES

(i) Solar Power Plants Programme

During the year, grid connected roof top (GCRT) Solar Power Plant of aggregate capacity of 23 MW has been installed under subsidy which total 88 MW capacity GCRT Solar Power Plants have been installed till March, 2018 with and without subsidy.

(ii) Solar Inverter Charger Programme

During the year, 28 Solar Inverter Chargers (500 watt.) were provided to the beneficiaries with State subsidy of Rs.10000/- per system. Thus, under the scheme subsidy amount of Rs.2.80 lacs was incurred.

4. SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME

Under this category, the Department is promoting installation of Solar Water Heating Systems in Social Sector institutions and for domestic applications. For Social Sector institutions 50% financial assistance was provided and for domestic applications, financial assistance @ of Rs. 5000/- per Sq. Meter of the collector area subject to max. 6 sq. meter for Flat Plate Collector (FPC) and Rs.2000/- per sq. meter subject max. 4.5 sq. meter for Evacuated Tube Collector (ETC).

During the year, Solar Water Heaters of 23000 LPD capacity were installed in social sector institutions at five sites with financial assistance of

Rs.21.00 lacs. In Domestic Sector, Solar Water Heating Systems of 80300 LPD capacity were installed at 274 houses with financial assistance of Rs. 50.00 lacs state subsidy.

5. BIOMASS PROGRAMME

HAREDA is promoting following schemes to utilize the surplus biomass available in the State:-

(i) Biomass Power Projects

During the year, two project of 9.5 MW were operational at Village-Khurawata, Distt. Mahendergarh and Village Dhana Narwar District Bhiwani. The power generated from the projects is being fed to the State grid. The department also floated a request for proposal for setting up paddy straw based biomass power projects in six paddy dominant districts of the State namely, Karnal, Kurukshetra, Kaithal, Ambala, Fatehabad and Jind to tackle the issue of straw burning in fields. after approval of the State Govt. & HERC. Bids were evaluated and the High Powered Committee headed by the Chief Secretary allotted 4 projects in Kurukshetra, Kaithal, Fatehabad and Jind with an aggregate capacity of 49.8 MW.

(ii) Biomass Cogeneration Projects

During the year, three biomass cogeneration projects of 20.45 MW were approved at M/s RSL Distillery Chanderwas, Karnal (5.55 MW), M/s Haryana Liquor Pvt. Ltd. Jundla, Karnal (9.9 MW) and M/s Sairam Paper Industry Pvt. Ltd., Kurukshetra (5 MW) and MoUs were signed. The project developers have approached the HPPC for signing of PPAs.

(iii) Biomass Gasifier Programme

During the year, a biomass gasifier project of 2 MW capacity was approved at M/s K2PR, Pvt. Ltd., Khursid Nagar, Rewari for power generation. The project developer is in progress of signing of PPA with HPPC after which the project will be implemented.

(iv) Bagasse Cogeneration

During 2017-18, M/s Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, Ambala commissioned the 25 MW bagasse cogen project at a cost of Rs.119.00 crore for which MoU was signed in 2013-14. The project has started exporting power to the grid w.e.f. 29-12-2017.

6. SMALL HYDRO POWER PROJECTS

No small hydro power project was commissioned during the year 2017-18. The total 9 nos. of small hydro projects of 73.30 MW capacity stands commissioned in the State at the end of financial year.

7. INSTITUTIONAL BIOGAS PLANTS PROGRAMME

In Haryana, Department is implementing this scheme by installing institutional Biogas Plants in Gosha a's, dairies, institutions having sufficient dung available. To promote the installation of IBP's, State Govt. is providing financial assistance @ 40% of the plant cost.

During the year 2017-18, no was commissioned.

8. ENERGY CONSERVATION PROGRAMME

During the year, approx. 306 MW of generation capacity was avoided in the State through energy conservation measures.

Department has initiated various capacity building programmes on energy conservation. Clean Energy/Energy Conservation walk followed by State Level Energy Conservation Award and State level Swarna Jyanti Seminar was organized on 22.04.2017. A State Level Quiz Competition on Renewable Energy and Energy Conservation was organized on 19.04.2017. During the year, Department has also revised Energy Audit and its implementation Scheme. Under the scheme, Energy Audit of Govt./Semi Govt. buildings (having connected load above 100 kW) will be conducted free of cost i.e. 100% cost of energy audit per Govt. building having connected load above 100 KW will be borne by the Department. The free energy audit shall be conducted only for the departments who undertakes to implement at least 50% recommendation of energy auditor within one year or as per phasing of the energy auditor in its report. Department has also initiated a scheme for replacement of Incandescent bulbs with LED bulbs in village under LED village campaign from BEE and State Govt. Financial Support.

9- ENERGY CONSERVATION AWARDS

Under the Energy Conservation Award Scheme Awards are given to those consumers of Industrial, Commercial, Govt. / Semi Govt. Buildings and Educational Institutes sector who have excelled in adopting the various energy conservation measures in their buildings/ units to save electricity / fuel energy. The award money under this scheme is Rs. 0.50-10.00 lacs. During the year, Department has utilized Rs.17.00 lacs as State Level Energy Conservation Awards.

10. IT PLAN

Under the information technology policy, making use of computers and application software in the office and day to day working for smooth governance is to be promoted, accordingly to improve the implementation of various schemes/programmes being implemented by head office and district offices and to speed up the transformation of data/information among the district offices, the department is implementing IT Plan.

During the year 2017-18, a grant of Rs.10.11 lacs was incurred under State IT Plan for promoting of IT activities in the Department. Also, the website of the Department was updated regularly. The department adopting e-tendering for its tenders.

11. ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN

The Department is promoting Energy Efficient Building Design in the State to save energy in buildings construction and their operations. To demonstrate energy efficient building design features, the office building of the Department has been constructed at Sector 17, Panchkula. This building is five star rated GRIHA compliant. During the year, an amount of Rs.55.37 lacs has been utilized under the programme.

12. PUBLICITY & AWARENESS PROGRAMME

Under Publicity and awareness programme, during the year, an amount of Rs. 82.00 lacs was utilized for various activities like press advertisements, workshop, seminar and radio jingles.

13. INFORMATION REGARDING COMPLAINTS WITH THE VIGILANCE DEPARTMENT.

No complaint against the officers/official of the Department is pending with the Vigilance Department for the period of the report under consideration.

Dated Chandigarh, the
— the January, 2019

(TRILOK CHAND GUPTA)
Addl. Chief Secretary to Govt. of Haryana,
New & Renewable Energy Department.

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मंत्री

: मुख्य मंत्री, हरियाणा

प्रशासनिक सचिव


: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

विषय:- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017-18 की
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017-18 की
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी व अंग्रेजी) हरियाणा सरकार के अज्ञा, क्रमांक
53/187/83-6 पीपी दिनांक 7-12-1984 द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना
में मंत्री परिषद् के सम्मुख उनके विचारार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मंत्री परिषद् के सम्मुख रखने के लिए मुख्य मंत्री
महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

दिनांक, चण्डीगढ़
18 जनवरी, 2019


(त्रिलोक चन्द गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017-2018 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना

इस वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रावधान ₹129.25 लाख रु० के समक्ष 3405.13 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

क- मैगावाट पैमाने पर विद्युत परियोजनाएं

वर्ष के दौरान राज्य में 21 मैगावाट क्षमता का जमीन से जुड़े 2 सौर विद्युत प्लांट में जेबीएम सोलर प्रा. लि., ब्रह्म जिला भिवानी व मै. बलार्च एनर्जी प्रा. लि. लगाये गये हैं।

ख- अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

वर्ष के दौरान कुल 88 मैगावाट की क्षमता के छत आधारित पावर प्लांट लगाए गये हैं जिनमें से 23 मैगावाट क्षमता के प्लांट अनुदान पर लगाये गये हैं।

ग- सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम


सौर वाटर हिटिंग सिस्टम कार्यक्रम एवं सौर कुकर कार्यक्रम(बॉक्स/डिश) क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य के सामाजिक क्षेत्र में 23000 एलपीडी व घरों के सैक्टर में 80300 एलपीडी क्षमता के सौर वाटर हिटिंग सिस्टम स्थापित किये गये।

घ- बायोमास कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, 9.5 मैगावाट एवं 9.9 मैगावाट क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड बायोमास बेजली परियोजनाएं गांव खुरावटा जिला नहेन्द्रगढ़ एवं गांव द्वारा नारसन जिला भिवानी में कार्य कर रही हैं। इस वर्ष के दौरान नारायणगढ़ चीनी मिल में 119 करोड़ रु. की लागत वाली खोई/बायोमास आधारित 25 मैगावाट की परियोजना 29.12.2017 को स्थापित की गई। यह राज्य की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है।

कुल मिलाकर वर्ष 2017-18 के दौरान अक्षय ऊर्जा विभाग का कार्य सन्तोषजनक रहा।

दिनांक, चण्डीगढ़
— जनवरी, 2019


(त्रिलोक चन्द गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

वर्ष 2017-2018 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग,
उरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

क्रमांक: डी.एन.आर.ई/2018/..... वर्ष के दौरान विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिये, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, संस्थागत बायोमैस कार्यक्रम तथा बायोमास इत्यादि क्रियान्वित किए गए।

विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 164 है। जिसमें से 111 पद भरे हुए हैं तथा 53 पद रिक्त हैं।

विभाग के विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने पर बजट शीर्ष 2810-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अन्तर्गत राज्य आवर्ती योजना व गैर आवर्ती योजना से 2845.96 लाख रुपये व शीर्ष 3425-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम राज्य योजना एवं गैर योजना के अन्तर्गत 559.17 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई।

1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

वर्ष के दौरान विभाग एवं हरेडा की प्रशासनिक व्यवस्था पर बजट शीर्ष 2810 व 3425 राज्य आवर्ती योजना एवं गैर आवर्ती योजना के अन्तर्गत 890.63 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

2. मैगावाट पैमाने पर विद्युत परियोजनाएं

वर्ष के दौरान राज्य में 21 मैगावाट क्षमता के 2 सौर विद्युत प्लांट में जेबीएम सोलर प्रा. लि., ब्रह्म जिला गिदानी व मै. बलार्य एनर्जी प्रा. लि. में लगाने गए हैं। मार्च 2018 तक राज्य में आरपीओ के अन्तर्गत 45.80 मैगावाट के विरुद्ध 50.00 मैगावाट के जमीन से जुड़े हुए सौर विद्युत प्लांट स्थापित किये गये।

3. अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

(i) सौर पावर प्लांट कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 88 मैगावाट की क्षमता के छल आधारित पावर प्लांट लगाए गये हैं जिनमें से 23 मैगावाट क्षमता के प्लांट अनुदान पर लगाये गये हैं।

(ii) सोलर इन्वर्टर चार्जर

इस वर्ष के दौरान 500 वाट क्षमता के 28 सोलर इन्वर्टर चार्जर लाभार्थियों को राज्य सरकार के 10000/- अनुदान प्रति सिस्टम पर वितरित किये गये। इस प्रकार, इस स्कीम के अन्तर्गत 2.80 लाख रुपये की अनुदान राशि खर्च की गई।

4- सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह विभाग सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों और घरेलू उपयोग में सौर जल तापन संयंत्र लगाने के लिये बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और घरेलू उपयोग में फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाला संयंत्र लगवाने पर 5000/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 6 वर्ग मीटर तक व 2000/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 2.5 वर्ग मीटर तक एवाकुपेटिड ट्यूब कलेक्टर लगवाने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र के 5 संस्थानों में 23000 लिटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गीजर 21.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से लगाए गए। घरेलू उपयोग में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई 50.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता से 80300 लिटर प्रतिदिन क्षमता के 274 सौर तापन प्रणाली लगाए गए।

5. बायोमास कार्यक्रम

बायोमास के प्रयोग के लिए हरेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान गांव खुरावट जिला महेन्द्रगढ़ एवं गांव घाना नारसन, जिला भिवानी में क्रमशः 9.5 मैगावाट एवं 9.9 मैगावाट क्षमता की बायोमास विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता रहा। मैं के2पीआर प्रा.लि. के साथ खुशीद नगर, कोसली, रिवाड़ी में 2 मैगावाट क्षमता की बायोमास गैसीफायर परियोजना स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू. किया गया। विभाग ने खेतों में पराली की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार व एचईअरसी को अनुमति से राज्य के छ. घान प्रधान जिलों जैसे करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जून्तेहाबाद एवं जीन्द में पराली आधारित बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। प्रस्तावों के आकलन के बाद मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार समिति ने 49.8 मैगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं के कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद व जीन्द में लगाने की स्वीकृति दी। परियोजना विकासकों को एम.ओ.यू. एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए आशय पत्र जारी किए गए।

इसके अलावा, 20.45 मैगावाट क्षमता की 3 बायोमास सह उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई एवं एम.ओ.यू. किये गए। ये परियोजनाएँ अब हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी के साथ पीपीए करने के चरण में हैं।

(ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान 20.45 मैगावाट की 3 बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं जो आरएसएल डिस्टीलरी, चन्द्रास, करनाल (5.55 मेगा.) में हरियाणा लिक्वर प्रा. लि. जुण्डला, करनाल (9.8 मेगा.) एवं साईराम पेपर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., कुरुक्षेत्र (5 मेगा.) में लगाई जानी हैं। इनके लिये एम.ओ.यू. किए गए हैं। परियोजना विकासकों से पीपीए के लिये हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी को आवेदन किया है। इसके बाद परियोजना कियान्वित की जाएगी।

(iii) बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम

वर्ष के दौरान मैसर्ज के2पीआर प्रा.लि. के खुशीद नगर, कोसली, रिवाड़ी में बिजली उत्पादन के लिए 2 मैगावाट क्षमता का एक गैसीफायर लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके लिये एम.ओ.यू. किया गया। परियोजना विकासक हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी के साथ पीपीए करने की प्रक्रिया में हैं जिसके उपरान्त परियोजना पर कार्य शुरू होगा।

(iv) खाई आधारित सह-उत्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान खाई आधारित सह-उत्पादन परियोजना मैसर्ज नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़, अम्बाला में 25 मैगावाट स्थापित की जिसके लिये

वर्ष 2013-2014 में एम.ओ.यू. किया गया था। परियोजना से 29-12-2017 से बिजली का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है।

6. लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य में 73.30 मेगावाट क्षमता के संचित 9 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ लगाई गईं।

7. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम

विभाग, हरियाणा की गौशालाओं, डेरी संस्थानों में जहाँ प्रचुर मात्रा में गोबर उपलब्ध हो, यह स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

वर्ष के दौरान कोई भी संस्थागत बायोगैस संयंत्र नहीं लगाए गए।

8. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

राज्य में ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से साल के दौरान लगभग 300 मेगावाट उत्पादन क्षमता का बचाव किया गया।

विभाग ने ऊर्जा संरक्षण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 22.4.2016 को स्वच्छ ऊर्जा/ऊर्जा संरक्षण दौड़ के साथ राज्य स्तर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राज्य स्तरीय स्वर्ण ज्यंती संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 19.4.2016 को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर एक राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष के दौरान, विभाग ने ऊर्जा लेखा परीक्षा और इसकी विवरणबद्ध योजना में भी संशोधन किया। इस योजना के तहत सभी सरकारी/अर्ध सरकारी इमारतों (100 किलोवाट से अधिक भार वाले) में ऊर्जा लेखा परीक्षा को मुफ्त किया गया अर्थात् 100 किलोवाट से अधिक भार वाले सरकारी भवनों के लिये 100 प्रतिशत ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत विभाग द्वारा दी जाएगी। नि:शुल्क ऊर्जा लेखा परीक्षा केवल उन विभागों के लिये आयोजित की जाएगी जो एक वर्ष के भीतर ऊर्जा लेखा परीक्षक की कम से कम 50 प्रतिशत रिपोर्ट में ऊर्जा लेखा परीक्षक के चरण के अनुसार परिपालना करने के लिये कार्य करते हैं। विभाग ने बीईडी और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से एलईडी ग्रान अभियान के तहत गांवों में आईसीएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों की प्रतिस्थापन के लिए एक योजना भी शुरू की है।

9. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने भवनों/इकाइयों में बिजली को बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रुपये से लेकर 10.0 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान, विभाग ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पर 17.00 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए कंप्यूटर तथा अन सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा

मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/डाटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके।

वर्ष 2017-18 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 10.11 लाख रुपये की राशि सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने खर्च की गई। विभाग की वेबसाइट नियमित रूप से अपडेट की गई। विभाग ने टैण्डरों के लिये ई-टैण्डरिंग अपनाई है।

11. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

यह विभाग निर्मित भवनों एवं उनके आपरेशन में ऊर्जा बचत के लिये ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन को बढ़ावा दे रहा है। ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन सुविधाओं को प्रदर्शित करने लिये, विभाग ने सैक्टर-17, पंचकुला में कार्यालय भवन का निर्माण किया है। यह भवन पाँच सितारा ग्रीड रेटेड है। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम पर 55.37 लाख रु. खर्च किए गए।

12. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 82.00 लाख रुपये की धन राशि विभिन्न गतिविधियों जैसे विज्ञापन, कार्यशाला तथा सेमिनार आदि के लिये व्यय की गई।

13. चौकसी विभाग को भेजी गई शिकायतों सम्बन्धी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच / शिकायत चौकसी विभाग में लम्बित नहीं है।

दिनांक, चण्डीगढ़
— जनवरी, 2019

(विलोक चन्द गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा विभाग।

वर्ष 2017-2018 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग राज्य में नवीनीकरण एवं गैर-पारम्परिक से संबंधित नीतियां बनाने एवं ऊर्जा के स्रोतों को लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यकर्मा के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान में यह सौर ऊर्जा, बायोगैस, माईको हाईड्रल, बायोमास ऊर्जा इत्यादि के उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत किये जा रहे हैं:-

- क. 2810-गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत (योजना एवं गैर योजना)
- ख. 3425-समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (योजना एवं गैर योजना)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार और हरेडा द्वारा उपलब्ध करवाई जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाने के लिए और कियान्वन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ऊर्जा अभिकरण (हरेडा) का गठन किया। यह एजेंसी राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को कियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। ये परियोजनाएं/कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:-

क. विद्युत परियोजनाएं

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह बायोमास, नगरीय कचरे, सनात हाईड्रो पर आधारित परियोजनाएं कियान्वित कर रहा है।

ख. बायो-एनर्जी कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह संस्थागत /मानव मलमूत्र आधारित बायोगैस कार्यक्रम, बायोमास एसेसमेंट परियोजना तथा बायोमास गैसोफायर कार्यक्रम पर आधारित परियोजनाएं कियान्वित कर रहा है।

ग. सोलर थर्मल कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत सौर जल तापन प्रणाली एवं सोलर कुकर (बाक्स/समुदायिक/डिश टाइप) स्कीम कियान्वित की जा रही हैं।

घ. सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत हरेडा सोलर लालटेन, सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली, सौर पथ प्रकाश प्रणाली, सोलर जल नलकूप प्रणाली और फोटोवोल्टिक नाय विद्युतीकरण स्कीम पर आधारित परियोजनाएं कियान्वित कर रहा है।

(i) बजट शीर्ष 2810 गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

क. राज्य योजना - भाग-1

1- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के नाम से एक नया विभाग 19 सितम्बर, 1995 में स्थापित किया गया ताकि यह गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा एवं विकास की नीति और आवश्यक मापदण्ड के बारे सरकार को परामर्श दे सके और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कियान्वन के लिए योजना बनाएँ। विभाग में कुल 164

पत्र स्वीकृत है। अमला जो 31-3-2018 को कार्यरत था, का विस्तृत विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

(i) हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा)

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निदेशालय के विभिन्न कार्यक्रमों / परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपने स्तर पर या केन्द्र सरकार के विभिन्न वित्तीय विभागों / एजेन्सियों जैसे हरेडा / नवीन एवं नवीकरणीय मन्त्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक, यूरोपियन आयोग, ग्रूएनडीपी इत्यादि के वित्तीय सहयोग के लिए साथ राज्य सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हरेडा में 27 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 12 पद भरे हुए हैं। 31-3-2018 तक हरेडा के अमले की स्थिति अनुबन्ध-3 पर है।

विभाग एवं हरेडा द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का विवरण :

2. नैगावाट पैमाने पर विद्युत परियोजनाएं

वर्ष के दौरान राज्य में 21 नैगावाट क्षमता के 2 सौर विद्युत प्लांट में जेबीएन सोलर प्रा.लि., ब्रह्मा जिला भिवानी व मै बलार्च एनर्जी प्रा. लि. में लगाये गये। मार्च, 2018 तक राज्य में आरपीओ के अन्तर्गत 45.80 नैगावाट के विरुद्ध 50.80 नैगावाट के जमीन से जुड़े हुए सौर विद्युत प्लांट स्थापित किये गये।

3. अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

(i) सौर पावर प्लांट कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 88 नैगावाट की क्षमता के छल आध्वारित पावर प्लांट लगाए गये हैं जिनमें से 23 नैगावाट क्षमता के प्लांट अनुदान पर लगाये गये हैं।

(ii) सोलर इनवर्टर चार्ज

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति वांछितता के दौरान, बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बैटरी वाले पारम्परिक घरेलू इनवर्टर को चार्ज करने लिये 300 वाट व दो बैटरियों वाले इनवर्टर को चार्ज करने के लिए 500 वाट का सोलर इनवर्टर चार्जर उपकरण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की 2.80 लाख रुपये की अनुदान राशि से 500 वाट क्षमता के 28 सोलर इनवर्टर स्थापित किये गये।

4- सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

सौर गीजर प्रणाली पारंपरिक उर्जा संरक्षण के लिए सबसे व्यवहार्य नवीकरणीय उर्जा फोटोवोल्टिक में से एक है। एक 100 लिटर की क्षमता की सौर तापन प्रणाली सालाना 1500 यूनिट बिजली बचाता है और इससे वातावरण में सालाना उत्सर्जित होने वाली 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचा जा सकता है। विभाग की तरफ से घरेलू और सामाजिक क्षेत्र में सौर तापन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा तीन साल तक रु 100/- प्रति 100 लिटर प्रतिदिन तक से लेकर 300 लिटर प्रतिदिन बिजली के बिल में भी छुट दी जाती है। 100 लीटर की क्षमता सौर तापन प्रणाली लगवाने पर 100/-रु प्रति

महीना बिजली के बिल में छूट दी जायेगी। यह छूट अधिकतम 300 लीटर क्षमता का सौर तापन लगवाने पर दी जाएगी। यह छूट 3 वर्ष की अवधि तक दी जायेगी।

यह विभाग सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों और घरेलू उपयोगों में सौर जल तापन संयंत्र लगाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और घरेलू उपयोग में फ्लैट प्लॉट कलेक्टर वाला संयंत्र लगवाने पर 5000/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 8 वर्ग मीटर तक व 2000/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 4.5 वर्ग मीटर तक एक्जुवेटेड ट्यूब कलेक्टर संयंत्र लगवाने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र के 5 संस्थानों में 23000 लिटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गीजर 21.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से लगाए गए। घरेलू उपयोग में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई 50.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता से 80300 लिटर प्रतिदिन क्षमता के 274 सौर तापन प्रणाली लगाए गये।

5. बायोमास कार्यक्रम

निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अक्षय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा नीति 2005 घोषित की गई थी। राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास की गणना के लिए हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, हिसार के द्वारा एक अध्ययन कराया गया था। इस अध्ययन के अनुसार हरियाणा में अतिरिक्त बायोमास से लगभग 1019 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाएं हैं। इस अतिरिक्त बायोमास के प्रयोग के लिए हररेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएं

इस तकनीक के तहत कृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को स्टेट ग्रिड में भेजा जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हररेडा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा बायोमास विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष के दौरान गांव खुरावटा जिला महेन्द्रगढ़ एवं गांव धाना नारसन, जिला भिवानी में स्थापित 19.4 मेगावाट क्षमता की बायोमास विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन हो रहा है। विभाग ने खेतों में पराली की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार व एचईआरसी की अनुमति से राज्य के छः धान प्रधान जिलों जैसे करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जीन्द में पराली आधारित बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। प्रस्तावों के आकलन के बाद मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार समिति ने 49.8 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं को कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद व जीन्द में लगाने की स्वीकृति दी। परियोजना विकासकों को एन. ओ.यू. एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए आशय पत्र जारी किए गए।

इसके अलावा, 20.45 मेगावाट क्षमता की 3 बायोमास सह उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई एवं एम.ओ.यू. किये गए। ये परियोजनाएं अब हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी के साथ पीपीए करने के चरण में हैं।

(ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएं

इस तकनीक में भी वृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को ट्रांसफार्मर द्वारा अपग्रेड करके स्टेट ग्रिड में भेजा जाता है तथा भाप का भी प्रयोग प्रसंस्करण में किया जाता है। बायोमास सह-उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों में जहां औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये भाप की आवश्यकता होती है वहां अधिक दबाव पर भाप की जाती है जिससे पहले बिजली पैदा की जाती है तथा उसके बाद भाप का प्रयोग उद्योग में किया जाता है।

वर्ष के दौरान 20.45 मेगावाट की 3 बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जो आरएसएल डिस्ट्रीलरी, चन्द्राव, करनाल (5.55 मेगा) में हरियाणा लिमिटेड प्रा. लि. जुण्डला, करनाल (9.8 मेगा) एवं सैनसन्त पेपर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. कुरुक्षेत्र (5 मेगा) में लगाई जानी हैं इनके लिये एम.ओ.यू. किए गए हैं। परियोजना विकासकों से पीपीए के लिये हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी का आवेदन किया है। इसके बाद परियोजना क्रियान्वित की जाएगी।

(iii) बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम

गैसीफायर एक ऐसी तकनीक है जिसमें लकड़ी के टुकड़ों/कृषि अवशेषों को वायु की नियंत्रित मात्रा में जलाया जाता है जिससे एक बहुत ही तीव्र ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है जिसका उपयोग तापीय एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान कंठपीआर प्रा. लि. के खुर्शीद नगर, रिवाड़ी में 2 मेगावाट की परियोजना प्रस्ताव पर स्वीकृति उपरान्त एम.ओ.यू. किया गया। वर्ष के दौरान कर्म का मामला हरियाणा विद्युत उत्पादन कम्पनी में पीपीए के लिये लगित रहा। पीपीए होने के बाद ही परियोजना पर कार्य प्रारम्भ होगा।

(iv) खोई आधारित सह-उत्पादन

चीनी उद्योग के लिए अपना लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सह-उत्पादन तकनीक बहुत उपयोगी है क्योंकि चीनी उत्पादन के लिए आवश्यक भाप से पहले बिजली पैदा की जाती है। अधिक मात्रा में उत्पादित बिजली को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (हर्क) द्वारा निर्धारित दरों पर ग्रिड में भेजा जा सकता है जिससे चीनी मिल के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत पैदा होता है। वर्ष 2017-18 के दौरान 25 मेगावाट की खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना के लिए मैसर्स नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़, अमनाला में कार्य पूरा हुआ और इस परियोजना से 29.12.2017 से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। परियोजना से बिजली राज्य की ग्रिड में भेजी जा रहा है। यह राज्य की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है।

6. लघु जल विद्युत परियोजनाएं

इस तकनीक के अन्तर्गत बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन चलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है तथा उत्पादित बिजली को ग्रिड में उपयोग हेतु भेज दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण एवं प्राकृतिक स्रोतों की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता एवं जल भी व्यर्थ नहीं जाता। हरियाणा को यमुना नदी के अलावा किसी भी दूसरी नदी को बारहमासी नदी का बन्दान नहीं है। हरियाणा के पास एक बड़ा नहरी जाल है जो यमुना व सतलुज से पानी लेकर सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है। हरियाणा में लगभग 90 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की वर्तमान क्षमता है। हरियाणा ने प्रत्येक संभावित स्थान पर संभावित ऊर्जा संचयन स्थापित करने का प्रयास किया है। लघु जल विद्युत संचयन के

माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार 1000 किलोवाट क्षमता तक की परियोजनाओं पर रुपये 12000/किलोवाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता देती है। 1 मैगावाट से 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं तक 1.20 करोड़ प्रथम मैगावाट + रुपये 20.00 लाख प्रत्येक अतिरिक्त मैगावाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता है।

वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य में 73.30 मैगावाट क्षमता के संचित 9 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ लगाई गई।

7. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम

बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, घुआ एवं कालिखरहित ईंधन है जिसमें 55 से 70 प्रतिशत मिथेन गैस होती है जो ज्वलनशील है। बायोगैस मवेशियों के गोबर, मानवीय मलमूत्र एवं जैविक पदार्थों से बायोगैस संयंत्र में डाइजेशन प्रोसेस द्वारा उत्पन्न होती है। जिससे सामान्यतः गोबरगैस के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से गोबर के उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। यह एक ही समय में खाना पकाने एवं बिजली बनाने दोनों में ही मदद करता है। इसके विपरीत महिलाओं एवं बच्चों को गोबर इकट्ठा करने एवं जल-ऊँ लकड़ों के भारी बंडलों को ढोने जैसे कठिन परिश्रम से भी बचाया जा सकता है। रसोईघरों में होने वाले धुएँ एवं खाना बनाने में लगने वाले अधिक समय को भी बचाया जा सकता है। इस संयंत्रों के लगाने से शहरों एवं गावों की स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है।

विभाग, हरियाणा की गौशालाओं, डेरी संस्थानों में जहाँ प्रचुर मात्रा में गोबर उपलब्ध हो, यह स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। बायोगैस संयंत्र की कुल लागत व राज्य अनुदान निम्न प्रकार है :-

क्रमांक संख्या	क्षमता घनमीटर	संयंत्र की लागत (रुपये)	राज्य अनुदान राशि (संयंत्र की कुल लागत का 40 प्रतिशत) रुपये
1	25	3,18,000	1,27,200
2	35	5,05,000	2,02,000
3	45	5,97,000	2,38,800
4	60	7,56,000	3,02,400
5	85	9,89,000	3,95,600

राज्य अनुदान इन संयंत्रों की स्थापना व KVVC की ड्राईंग के अनुसार चालू होने व इस बारे में निर्धारित प्रोफार्मा में जो कि लाभार्थी संस्थान ठेकेदार व जिला परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के द्वारा सत्यापित तथा फोटो व खर्च का विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है।

8. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

राज्य में ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से साल के दौरान लगभग 306 मैगावाट उत्पादन क्षमता का बचाव किया गया।

विभाग ने ऊर्जा संरक्षण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 22.4.2016 को स्वच्छ ऊर्जा/ऊर्जा संरक्षण दौड़ के साथ राज्य स्तर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 19.4.2016 को अक्षय

ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर एक राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष के दौरान, विभाग ने ऊर्जा लेखा परीक्षा आर इसकी कियान्वयन योजना में भी संशोधन किया। इस योजना के तहत सभी सरकारी/अर्ध सरकारी इमारतों (100 किलोवाट से अधिक भार वाले) में ऊर्जा लेखा परीक्षा को मुफ्त किया गया अर्थात् 100 किलोवाट से अधिक भार वाले सरकारी भवनों के लिये 100 प्रतिशत ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत विभाग द्वारा दी जाएगी। निःशुल्क ऊर्जा लेखा परीक्षा केवल उन विभागों के लिये आयोजित की जाएगी जो एक वर्ष के भीतर ऊर्जा लेखा परीक्षक की कम से कम 50 प्रतिशत रिपोर्ट में ऊर्जा लेखा परीक्षक के चरण के अनुसार परिपालना करने के लिये कार्य करते हैं। विभाग ने बीईई और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से एलईडी ग्राम अभियान के तहत गांवों में आईसीएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों की प्रतिस्थापना के लिए एक योजना भी शुरू की है।

9. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने भवनों/इकाइयों में बिजली की बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रुपये से लेकर 10.0 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान, विभाग ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पर 17.00 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए कम्प्यूटर तथा अन साफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/डाटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके। इसी कार्य हेतु विभाग द्वारा वार्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नई साफ्टवेयर एवं तकनीक के उपयोग के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 10.11 लाख रुपये की राशि सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने खर्च की गई। विभाग की वेबसाईट नियमित रूप से अपडेट की गई। विभाग ने टैण्डरों के लिये ई-टैण्डरिंग अपनाई है।

11. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा और वाहीय वातावरण की ऊर्जा के ऊर्जा प्रबंधन में समुचित उपयोग के साथ ऊर्जा सक्षम भवन निर्माण डिजाइन एवं निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग कार्यक्रम चला रहा है।

यह विभाग निर्मित भवनों एवं उनके आपरेशन में ऊर्जा बचत के लिए ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन को बढ़ावा दे रहा है। ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन सुविधाओं को प्रदर्शित करने लिए, विभाग ने सैक्टर-17, पंचकुला में कार्यालय भवन का निर्माण किया है। यह भवन पाँच सितारा ग्रीन रेटेड है। इस वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 55.37 लाख खर्च किये गए।

12. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम


वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 82.00 लाख रुपये की धन राशि विभिन्न गतिविधियों जैसे विज्ञापन, कार्यशाला तथा सेमिनार आदि के लिये व्यय की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। -

- अक्षय ऊर्जा पर प्रदर्शनीया लगाई गई
- जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- महत्वपूर्ण स्थलों पर होर्डिंग्स लगाए गए
- सभी जिलों में दीवारों पर विज्ञापन छपवाए गए
- विभिन्न जिलों प्रदर्शनी वाहन को जागरूकता हेतु भेजा गया
- विभिन्न अखबारों तथा मैगजीनों में विज्ञापन छपवाए गए
- रेडियो विज्ञापन गीत

13. चौकसी विभाग के साथ शिकायतों सम्बन्धी सूचना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध एक भी जाँच/शिकायत चौकसी विभाग में लम्बित नहीं थी।

दिनांक, चण्डीगढ़
— जनवरी, 2019


(त्रिलोक चन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा विभाग।

वार्षिक योजना 2017-2018
स्कीम-वार खर्च का विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक कार्य योजना 2017-2018 का वास्तविक खर्च (लाखों में)
1.	(i) 2810- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रशासनिक व्यवस्था / आवर्ती	206.48
	(ii) 2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत / आवर्ती	
	क. हरेडा की प्रशासनिक व्यवस्था	125.00
	ख. सूचना तकनीकी योजना	10.11
	योग (1)	341.57
2.	(i) 2810- NCSE प्रशासनिक व्यवस्था / गैर-आवर्ती	0.00
	(ii) 2810- NCSE योजना के अन्तर्गत ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर खर्च	2504.39
	कुल योग (1+2)	2845.96
3.	3425-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम-आवर्ती	559.17
	कुल योग (1+2+3)	3405.13

वर्ष 2017-2018 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा में पदों की विवरण

क्रम	पद संज्ञा/वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	31.3.18 की गंरे हुए पद	रिक्त
1.	निदेशक	1	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी) वेतन मैट्रिक्स स्तर-14	1	—	1
3.	परियोजना निदेशक वेतन मैट्रिक्स स्तर-11	1	1	—
4.	परियोजना अधिकारी वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	6	6	—
5.	लेखाधिकारी वेतन मैट्रिक्स स्तर-9	1	1	—
6.	अधीक्षक वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	1	1	—
7.	सहायक जिला न्यायवादी वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	1	—	1
8.	निजी सचिव वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	1	—	1
9.	प्रोग्रामर वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	1	1	—
10.	निजी सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	1	1	—
11.	सहायक परियोजना अधिकारी/जूनियर अभियन्ता वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	6	4	2
12.	सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	2	1	1
13.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	2	2	—
14.	चालक वेतन मैट्रिक्स स्तर-4	3	3	—
15.	आशुटंकक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	3	—	3
16.	लिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	4	2	2
17.	सेवादार वेतन मैट्रिक्स-डीएल	3	3	—
18.	स्वीपर वेतन मैट्रिक्स-डीएल	1	1	—
19.	चौकीदार वेतन मैट्रिक्स-डीएल	1	1	—
कुल(1)		40	28	12

क्षेत्रीय कार्यालय

1.	परियोजना अधिकारी - वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	22	17	5
2.	सहायक परियोजना अधिकारी - वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	22	18	4
3.	तकनीकी सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर-4	22	13	9
4.	आशुटकक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	14	11	3
5.	लिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	22	14	3
6.	सेवान्तर वेतन मैट्रिक्स-डीएल	22	10	12
कुल(2)		124	83	41
कुल (1+2)		164	111	53

वर्ष 2017-2018 में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में पदों की स्थिति का विवरण

क्रम	पदसंज्ञा/वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए	रिक्त
1.	मुख्य वैज्ञानिक अभियन्ता वेतन मैट्रिक्स स्तर-13	1	1	—
2.	वैज्ञानिक अभियन्ता-ए वेतन मैट्रिक्स स्तर-11	1	1	—
3.	वरिष्ठ तकनीकी प्रबन्धक वेतन मैट्रिक्स स्तर-9	2	1	1
4.	तकनीकी प्रबन्धक वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	2	2	1
5.	अधीक्षक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	1	1	—
6.	अनुभाग अधिकारी वेतन मैट्रिक्स स्तर-7	1	1	—
7.	निजी सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	1	1	—
8.	सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	2	1	1
9.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	2	2	—
10.	जूनियर लाईब्रेरीयन वेतन मैट्रिक्स स्तर-4	1	—	1
11.	तकनीशियन वेतन मैट्रिक्स स्तर-4	1	—	1
12.	आशुलिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	2	—	2
13.	लिपिक वेतन मैट्रिक्स स्तर-2	3	—	3
14.	चालक वेतन मैट्रिक्स स्तर-4	2	—	2
15.	सेवादार— वेतन स्तर डीएल	4	1	3
		<u>27</u>	<u>12</u>	<u>15</u>